



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 183/2026

मों. सुयेब

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग लखनऊ एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – अरविन्द कुमार, अरविन्द कुमार वर्मा

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दिलीप कुमार पाण्डेय

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. वाद सुना गया।

2. इस रिट याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों हेतु प्रार्थना की है:-

"(i) प्रतिवादी संख्या 3 (उप-जिलाधिकारी, तहसील- महमूदाबाद, जिला- सीतापुर) द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 16.01.2026 को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी करें।

(ii) दिनांक 22.12.2025 के एल.एम.सी. (LMC) प्रस्ताव के अनुसार गाटा संख्या 1128 पर अन्नपूर्णा भवन का निर्माण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए परमादेश रिट जारी करें।"

3. याचिकाकर्ता 'अन्नपूर्णा भवन' के प्रस्तावित निर्माण से व्यथित है, जो उसके अनुसार उस भूमि से भिन्न भूमि पर है जिसे गाँव सभा ने अपने प्रस्ताव दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्रस्तावित किया था।

4. गाँव सभा न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुयी आई है, हालांकि यदि वह व्यथित होती, तो उपस्थित हो सकती थी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. सुश्री आकांक्षा दुबे, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के पास इस आशय के लिखित निर्देश हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा जिस कथित प्रस्ताव का आश्रय लिया जा रहा है, उस पर ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर फर्जी हैं। उपजिलाधिकारी द्वारा ऐसे किसी भी प्रस्ताव को कभी भी अनुमोदित नहीं किया गया था। वास्तव में, जिले के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में, वर्तमान मामले सहित पूरे जिले में 800 अन्नपूर्णा भवन बनाने का निर्णय लिया गया था। याचिकाकर्ता और अन्य ग्रामीणों के प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद, मामले पर पुनः विचार किया गया, एक संयुक्त निरीक्षण किया गया और, तत्पश्चात, यह पाया गया कि जिस भूमि पर इसे प्रस्तावित किया गया है, वह सभी दृष्टिकोणों से सर्वाधिक उपयुक्त है।

6. इस तथ्य के दृष्टिगत कि मात्र एक व्यक्ति ही न्यायालय की शरण में आया है, लेकिन गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, क्योंकि गाँव सभा ने इस न्यायालय की शरण में नहीं आयी है, हमें याचिकाकर्ता के कहने पर इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, विशेष रूप से इसलिये क्योंकि अनिवार्य रूप से यह अधिकारियों द्वारा देखा जाने वाला मामला है।

7. वाद निस्तारित किया जाता है।

9 मार्च, 2026

प्रवीण

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)